Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

127-2026/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 20, 2026 (SRAVANA 29, 1948 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 20th August, 2026

No. 12-HLA of 2026/ 98/ 14204.— The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2026 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 12- HLA of 2026

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Act, 2026.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 26th June, 2026.

Amendment of section 329 of Haryana Act 16 of 1994.

2. Sub-section (1) of section 329 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 shall be omitted.

Repeal and savings.

3. (1) The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2026 (Haryana Ordinance No. 3 of 2026) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. The Deregulation cell, Cabinet Secretariat, Government of India has mandated removal of dual licenses. The Urban Local Bodies Department, Haryana has been directed by the Chief Secretary, Haryana to review and consider removing the requirement of trade licenses for slaughterhouses and meat shops.

2. It is submitted that the similar trades are being covered by Food & Drugs Administration Haryana also. The said amendments will remove the dual license and give relief to public for easing the compliance burden, also the same was required to be undertaken by 30th June, 2026. Hence, the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2026 was passed by the CMM on 22.06.2026 and the same was published on 26.06.2026.

3. Hence, it is necessary to carry out amendments in the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 by way of enacting the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2026.

VIPUL GOEL,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 20th August, 2026

DR. VIRENDER KUMAR DAHIYA,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2026 का विधेयक संख्या 12 एच.एल.ए.

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026
हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994
को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) यह 26 जून, 2026 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 329 की उप–धारा (1) का लोप कर दिया जाएगा। 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 329 का संशोधन।

3. (1) हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (2026 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 3), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है। निरसन तथा व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय सचिवालय के विविनियमन प्रकोष्ठ (Deregulation Cell) द्वारा दोहरे लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा बूचड़खानों (Slaughterhouses) एवं मांस की दुकानों (Meat Shops) के लिए व्यापार लाइसेंस (Trade License) की अनिवार्यता को हटाने हेतू समीक्षा तथा विचार करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा को निर्देश दिया।

2. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त प्रकार के व्यापार/गतिविधियों को हरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Food & Drugs Administration, Haryana) द्वारा भी विनियमित किया जा रहा है। उक्त संशोधनों से दोहरे लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त होगी तथा अनुपालन के बोझ को कम करके आम जनता को राहत देगा, साथ ही, इसे 30 जून, 2026 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था। अतः हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को मंत्रिपरिषद की बैठक में दिनांक 22.06.2026 को पारित किया गया तथा इसे दिनांक 26.06.2026 को प्रकाशित किया गया।

3. अतः हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में संशोधन करना आवश्यक है, जिसके लिए हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 को अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित है।

विपुल गोयल,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 20 अगस्त, 2026.

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया,
सचिव।

12796—H.V.S.—H.G.P., Pkl.